

थाना बिल्सी पुलिस द्वारा 500 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित मूल्य 1.5 लाख रुपये) समेत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी बदायूँ के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी बिल्सी बदायूँ के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 31.03.2024 को थाना बिल्सी पुलिस द्वारा परौली गैस गोदाम के पास से अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रूपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को 500 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित मूल्य 1.5 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/2024 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम अभि0 पुष्पेन्द्र पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रूपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को संबंधित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना बिल्सी पुलिस द्वारा परौली गैस गोदाम के पास से अभि0 पुष्पेन्द्र पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रूपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभि0 पुष्पेन्द्र पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रूपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ ने अपने जुर्म से माफी मागते हुए बताया साहब मैं लोभ लालच मे आ गया था और यह काम मैंने कर लिया था तथा अन्य स्रोतों के बारे मे पूछताछ की गयी तो कोई जानकारी नही दी गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अभि0 पुष्पेन्द्र पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रूपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ ।

घटनास्थल, दिनांक-

परौली गैस गोदाम के पास, दिनांक 31.03.2024,

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 135/24 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट ।

विवरण बरामदगी-

500 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित मूल्य 1.5 लाख रुपये)।

सोशल मीडिया सेल, बदायूँ ।

